



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012023-241848
CG-DL-E-10012023-241848

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]
No. 149]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2023/पौष 20, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2023/PAUSHA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2023

का.आ. 157(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 25 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"25	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.2बी, (बर्दवान किमी 0.00 से किमी 105.86 मोल्लारपुर), सं. 31 [किमी 447.000 से किमी 470.000 और किमी 476.150 से किमी 551.00 (सिलीगुड़ी के निकट	पश्चिम बंगाल

डलकोला से घोषपुकुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 31ए (सिवोक – रंगपो खंड), सं. 31सी [किमी 228.00 (सलसलाबाड़ी) से किमी 254.500 (संकोश) तक खंड को छोड़कर], सं. 34 [किमी 31.00 (बारासात) से किमी 452.70 (डलकोला) तक खंड को छोड़कर], सं. 60 [खड़गपुर से रानीगंज तक का खंड और रानीगंज के निकट रारा-2 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर पांडेश्वरा – दुबराजपुर – सूरी –रामपुरहाट – नलहाटी को जोड़ते हुए और मोरेग्राम के निकट रारा-34 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग], सं. 35, सं. 55, 60ए और सं. 117 [किमी 0.557 से किमी 7.105 तक (कोना एक्सप्रेसवे) और किमी 22.76 से किमी 137.68 (जोका से बखाली तक)], सं. 80, सं. 81, नई रारा सं. 114ए, नई रारा सं. 116बी, <u>नई रारा सं. 218</u>, नई रारा सं. 131ए, नई रारा सं. 133ए, नई रारा सं. 10 [इंडो/बांग्लादेश सीमा-फुलबाड़ी – सिलीगुड़ी (शिवमंदिर, मेडिकल मोड़ खंड)], नई रारा सं. 317ए, (भूटान – भारत सीमा से हासीमारा), नई रारा सं. 327बी (भारत – नेपाल सीमा पर मेची नदी से रारा 31सी पर पानी टंकी मार्किट पर समाप्त होने वाला), नई रारा सं. 419, नई रारा सं. 512 और नई रारा सं. 717 (मैनागुड़ी – चांगराबंधा – इंडो/बांग्लादेश सीमा खंड) के उतने भाग जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित हैं।	राज्य सरकार”
--	---------------------

[फा. सं. एनएच-14013/20/2022-पीएण्डएम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार संख्या का.आ.-5427(अ), तारीख 22 नवंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2023

S.O. 157(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“25	National Highways No. 2B (Burdwan 0.00 Km. to Mollarpur 105.86 Km.), No. 31 [(excluding from Km. 447.000 to Km. 470.000 and from Km. 476.150 to Km. 551.00 (Dalkhola to Ghospukur near Siliguri)], No. 31A (Sevoke-Rangpo section), No. 31C [excluding from Km. 228.00 (Salsalabari) to Km. 254.500 (Sankosh)], No.34 (excluding from Km. 31.00 (Barrasat) to Km. 452.70	State Government of West Bengal.”

(Dalkhola), No. 60 [portion from Kharagpur to Raniganj and the highway starting from its junction with NH 2 near Raniganj connecting Pandaveswara-Dubrajpur- Suiri-Rampurhat-Nalhati and terminating at its junction with NH 34 near Moregram], No. 35, No. 55, No. 60A and No.117 [from Km. 0.557 to Km. 7.105 (Kona Expressway) and Km. 22.76 to Km. 137.68 (from Joka to Bakhali)], No. 80, No. 81, new National Highway No. 114 A, new National Highway No. 116B, new National Highway No. 218, new National Highway No. 131A, new NH No. 133A, new National Highway No. 10 [Indo/Bangladesh border-Fulbari-Siliguri (Shibmandir, Medical More) section)], new National Highway No. 317A (Bhutan-India border to Hasimara), new National Highway No. 327B (India-Nepal border at Mechi River to Panitanki Market terminating at NH 31 C), new NH No. 419, new NH No. 512 and new National Highway No. 717 (Mainaguri Changrabandha-Indo/Bangladesh border section) as are situated within the State of West Bengal.	
---	--

[F. No. NH-14013/20/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 5427 (E), dated the 22nd November, 2022.